राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 2149/2013.....जिला.....बीकानेर.....

उनवान– मैसर्स सतीश कुमार कान्ट्रेक्टर, बीकानेर बनाम् उपायुक्त (अपील्स), बीकानेर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.05.2014	**एकलपीठ** **श्री अमर सिंह,सदस्य** अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (जिसे आगे **"अपीलीय प्राधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.12.2013, जो कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 38(4) के तहत् पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। जिसमें सहायक आयुक्त, वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, बीकानेर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा अधिनियम की धारा 55 के तहत् कर निर्धारण वर्ष 2008–09, के लिये पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 03.06.2013 में ब्याज मांग राशि रूपये 82,771/–की अपीलार्थी व्यवहारी के विरूद्ध कायम की गई। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील मय स्थगन पेश करने पर, स्थगन को अस्वीकार कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र वसूली पर रोक हेतु पेश की गयी है। अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक श्री वी.के.गर्ग ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 31.12.2010 के आदेश में अतिरिक्त कर, शास्ति एवं ब्याज मांग राशि रूपये 4,02,174/– अपीलार्थी व्यवहारी के विरूद्ध कायम की गई थी। जिसका मांग पत्र व्यवहारी को तामील नहीं हुआ। उक्त मांग की जानकारी होने पर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त राशि दिनांक 16.11.2012 को जमा करा दी गई है। तत्पश्चात् कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 03.06.2013 को आदेश पारित करते हुए उक्त राशि पर विलम्ब शुल्क (ब्याज) रूपये 82,771/– व्यवहारी के विरूद्ध कायम की गई थी। जिसे विधि सम्मत नहीं कहा जा सकता है। अपीलीय प्राधिकारी ने भी अपीलार्थी व्यवहारी के विरूद्ध उक्त कर निर्धारण आदेश में कायम मांग राशि ब्याज को सही ठहराते हुए व्यवहारी के स्थगन को अस्वीकार कर दिया गया। श्री गर्ग ने निवेदन किया कि अपील मय स्थगन पर रोक स्वीकार की जावें। विभाग की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक श्री आर.के.अजमेरा द्वारा अपने तर्क में बताया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सम्पूर्ण जांच कर तथ्यों के आधार पर मांग आरोपित की गयी है। अपीलीय प्राधिकारी द्वारा भी अपीलार्थी व्यवहारी के रोक को अस्वीकार कर दिया है। जो विधि सम्मत है। अतः रोक आवेदन अस्वीकार किया जावे। लगातार.....2	

09.05.2014

दोनों पक्षों की बहस सुनी तथा रिकार्ड का अवलोकन किया गया। रेकार्ड के अवलोकन से प्रमाणित होात है कि मूल कर निर्धारण आदेश एवं उसका मांग पत्र किस दिनांक को अपीलार्थी व्यवहारी को तामील कराया गया। ब्याज की गणना मांग पत्र तामीली के आधार पर की जाती है जब मांग पत्र तामीली के दिनांक का व्यवहारी को पता नहीं था तो ब्याज का निर्धारण किस आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा किया जा सकता है। यह प्रमाणित नहीं होता है। लिहाजा अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा वसूली पर रोक लगाने के प्रस्तुत आवेदन पत्र को स्वीकार कर, बकाया मांग ब्याज राशि 82,771/— की वसूली पर आगामी सुनवाई नियत तिथि तक इस शर्त पर रोक लगाई जाती है कि अपीलार्थी व्यवहारी कर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में पर्याप्त जमानत प्रस्तुत करेगें। उक्त आदेश की पालना के अभाव में, रोक आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी समझा जायेगा। इस संबंध में अपीलीय प्राधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त आदेश प्राप्ति की तिथि से तीन माह में अपील का गुणावगुण कर निस्तरण करना सुनिश्चित करें।

निर्णय सुनाया गया ।

(अमर सिंह) 9-5-14
सदस्य